अध्याय 2

एमईआईएस और एसईअआईएस के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दे

एमईआईएस और एसईआईएस योजनाओं को मुख्यत: व्यापार करने की सुविधा में सुधार, प्रक्रियाओं को सरल करने, पेपर रहित प्रक्रिया के लिए मुहिम और बेहतर व्यापार सुविधा के उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था। डीजीएफटी ने आवेदनों की सिस्टम द्वारा प्राप्ति शुरू करने के लिए और आरए और निर्यातकों के बीच न्यूनतम भौतिक इंटरफेस के साथ स्क्रिप्स को जारी करने के लिए इन योजनाओं के लिए संवर्द्धित इलैक्ट्रॉनिक प्रशासन को आरंभ किया।

लेखापरीक्षा ने 2015-16 से 2018-19 (अक्तूबर 2018) की अवधि हेतु संपूर्ण भारत के डेटा का विश्लेषण करते हुए एमईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आरंभ किये गये सुविधाजनक उपायों के कार्यान्वयन और स्वत: चालित प्रणाली में मुख्य विशेषताओं की जांच की। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि यद्यपि एसईआईएस का स्वचालन आंशिक था, एमईआईएस के मामले में जहां की स्वचालन वृहद था, स्वचालन प्रक्रियाओं में कई कमी और खामियां थीं। एमईआईएस / एसईआईएस के लिए विकसित स्वचालित प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिससे प्राधिकृत अधिकारियों के हाथों में परिहार्य भौतिक इंटरफ़ेस और विवेक होता है जिसके परिणामस्वरूप विलंब होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप के मद्देनजर, पैन-इंडिया डेटा के विश्लेषण को पूरा करने के अलावा, 32 चयनित इकाइयों में स्क्रिप्स का एक नमूना लेकर सीमित क्षेत्र के ऑडिट भी किए गए थे। **चूंकि ऑडिट निष्कर्ष परीक्षण जांच पर आधारित होते हैं, इसलिए संभावना है कि भूल और चूक की ऐसी त्रुटियां अन्य मामलों में भी मौजूद हो सकती हैं। इसलिए विभाग शेष सभी लेन-देन की भी जांच कर सकता है और उचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।**

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को इंगित किया, जैसा कि नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- एमईआईएस से संबंधित निष्कर्ष
  - एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने में अधिक विलंब;
  - स्क्रिप्स मूल्य और वास्तविक पात्रता के बीच त्रुटियां;

- विदेशी विनिमय दरों का गलत अपनाया जाना;
- "लेट कट" का गलत उद्ग्रहण;
- भारतीय रूपये में वसूली गई निर्यात प्राप्ति पर लाभ का अनुदान और
- एमईआईएस हेतु ई-कॉमर्स मोड्यूल के संचालन में विलंब

- एसईआईएस से संबंधित निष्कर्ष
  - स्क्रिप्स के जारी करने में विलंब
- रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) से संबंधित निष्कर्ष
  - आरएमएस की कार्यशीलता में विलंब और त्रुटियां तथा
  - प्रभावहीन आरएमएस के परिणाम

एमईआईएस से संबंधित निष्कर्ष

2.1 एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में विलंब

एफटीपी के पैरा 1.09 के अंतर्गत डीजीएफटी अपने सीटीजन चार्टर में एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत आवेदनों के निपटान के लिए तीन दिन निर्दिष्ट[8] करता है। आवेदन में गलत श्रेणीबद्धता या गलत घोषणा की शंका के मामले में, संबंधित आरए भौतिक दस्तावेज प्राप्त कर सकता है और ऐसे दस्तावेज की संवीक्षा के बाद सात दिनों[9] में दावे का निर्णय अवश्य किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने इन समयसीमा के अनुसार सुविधा उपायों की सफलता को मापा और पाये गये विलंब की भी जांच की थी, जैसा कि नीचे विवरण किया गया है:

2.1.1 एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में विलंब

हमने वि.व.16 से वि.व.19 (अक्तूबर 2018) की अवधि हेतु एमईआईएस के पूर्ण डेटा का विश्लेषण किया और चयनित 32 इकाईयों (25 आरए और 7 एसईजेड) में स्क्रिप्स जारी करने में वि.व.16 के दौरान 12,002 फाईलों (42.33 प्रतिशत), वि.व.17 के दौरान 73,320 फाइलों (49.87 प्रतिशत), वि.व.18 के दौरान 78,771 फाईलों (38.93 प्रतिशत) और वि.व. 19 (अक्तूबर 2018 तक) के दौरान 32,886 फाईलों (20.13 प्रतिशत) में 10 दिनों से अधिक विलंब पाया गया। प्रतिशत के रूप में विलंब में वि.व.16

[8] सार्वजनिक सूचना संख्या 16/2015-20 दिनांक 4 जून 2015 द्वारा

[9] जैसा कि एचबीपीवी1 के पैरा 3.01 में निर्दिष्ट 5 दिसंबर 2017 से प्रभावी बनाया गया

में 49 प्रतिशत से वि.व. 18 में 39 प्रतिशत तक और इसके बाद वि.व. 19 के पहली छः माही में 20 प्रतिशत तक थोड़ी सी कमी हुई। हालांकि, संख्या वार विलंबित स्क्रिप्स काफी अधिक शेष बचे हुए थे। एसईजेड के प्रभारी आरए में 50 प्रतिशत से अधिक फाइलों में देरी देखी गई क्योंकि वे गैर-ईडीआई बंदरगाह थे और इसलिए भौतिक रिकॉर्डों के सत्यापन की आवश्यकता थी **(विवरण 1)**।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि एमईआईएस के अनुमोदन हेतु 99 प्रतिशत से अधिक समन्वित प्रणाली **(**एचएस**)** कोड प्रणाली से संचालित किये गए हैं।

2.1.2 एसईजेड इकाई के अंतर्गत एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में विलंब

एसईजेड इकाईयों द्वारा निर्यात को सीमा शुल्क आईसीइएस नेटवर्क के साथ एसईजेड निर्यात मोड्यूल के गैर-एकीकरण और डीजीएफटी शिपिंग बिल (एस.बी.) रिपोजटरी में एसईजेड के एसबी डेटा की गैर प्राप्ति के कारण, गैर-ईडीआई मोड द्वारा निर्यात माना जाता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एसईजेड से संबंधित 50 प्रतिशत मामलों में स्क्रिप्स के जारी करने में विलंब बताया गया है। सीटीजन चार्टर में निर्दिष्ट ईडीआई और गैर-ईडीआई बंदरगाहों के लिए स्क्रिप्स को जारी करने की समयसीमा एक सामान थी जिसकी समीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि अप्रैल 2019 से, डीजीएफटी और एनएसडीएल द्वारा संचालित एसईजेड ऑन लाईन मोड्यूल के डेटा विनिमय तंत्र के एकीकरण के बाद, शिपिंग बिलों का डेटा इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जा रहा था। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एसईजेड इकाईयों द्वारा अप्रैल 2019 के बाद शिपिंग बिलों के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया के लिए गए समय में काफी सुधार हुआ है।

एमईआईएस के लिए विकसित प्रणाली एक इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे मैन्यूल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अत: संपूर्ण भारत के डेटा का विश्लेषण करने के अतिरिक्त 32 चयनित इकाईयों में स्क्रिप्स के नमूने प्राप्त करते हुए सीमित क्षेत्र लेखापरीक्षा की गई और स्क्रिप्स को जारी करने में अधिक विलंब के कारणों का विश्लेषण किया गया, जिस पर इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में लेखापरीक्षा परिणाम दिये गये हैं।

2.2 एमईआईएस स्क्रिप्स मूल्य और शिपिंग बिलों के अनुसार वास्तविक पात्रता के बीच त्रुटियां

रिवार्ड की प्राप्ति हेतु निर्यातक द्वारा किये गये आवेदन में स्वचालित एमईआईएस मोड्यूल को आवेदन में प्रत्येक शिपिंग बिल के लिए रिवार्ड की वास्तविक पात्रता को जोड़ना चाहिए और प्रत्येक ऐसे रिवार्ड के योग के लिए समान प्रोत्साहन स्क्रिप्स जारी करना चाहिए।

अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि के दौरान दिये गये एमईआईएस स्क्रिप्स पर संपूर्ण भारत के डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 39,184 स्क्रिप्स (कुल स्क्रिप्स का 6.70 प्रतिशत) में, जारी किये गये स्क्रिप्स का मूल्य आवेदन में एसबी की वास्तविक पात्रता के जोड़ से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप ₹13.37 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया **(विवरण 2)**।

वास्तविक पात्रता के प्रति स्क्रिप्स के अधिक जारी करने के मामले की पुष्टि करने के लिए उपर्युक्त उद्धधृत डेटा को चयनित इकाई के 355 भौतिक रिकॉर्ड से सह सम्बंधित किया गया।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि "अंतिम पात्रता के आकंलन में हटाये गये शिपिंग बिलों के गैर-अद्यतन" से संबंधित सिस्टम में प्रोगरैमिंग बग की पहचान की गई थी और परिणाम स्वरूप, इसने जहां भी बकाया शेष है वहां पर आरए को वसूली करने को कहा गया।

2.3 विदेशी विनिमय दरों की गलत स्वीकृति

लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) की तारीख के अनुसार विनिमय दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा को भारतीय रूपये[10] में परिवर्तित कर दिया जाना होता है।। समय-समय पर सीबीआईसी द्वारा इन दरों को प्रकाशित किया जाता है और डीजीएफटी द्वारा अपने ईडीआई सिस्टम में अद्यतित किया जाता है। ईडीआई शिपिंग बिलों के संबंध में, एफओबी को भारतीय रुपये में बदलने के लिए विनिमय दर को डीजीएफटी

[10] पैराग्राफ 9.12 (डी) के साथ पठित एचबीपी संस्करण 1 का पैराग्राफ 1.15

ईडीआई प्रणाली से लिया जाता है जो एलईओ तारीख को प्राप्त की गई और निर्यात प्रोत्साहन को एफओबी के प्रतिशत के रूप में सम्मानित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने आवलोकन किया कि सीमा शुल्क अधिसूचनाओं[11] के अनुसार विनिमय दरें डीजीएफटी प्रणाली में समय-समय पर अद्यतित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रोत्साहन अधिक या कम जारी किये गये थे।

विनियम दरों को लागू करने के सम्बन्ध में, वि.व. 16 से वि.व. 19 (अक्तूबर 2018 तक) की अवधि हेतु एमईआईएस दावों के डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 8,218 आवेदनों से संबंधित 20,834 शिपिंग बिलों (एसबी) में, विनिमय दरों को गलत रूप से अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप 12,371 आवेदनों में 50,433 एसबी (कुल का 0.46 प्रतिशत) में ₹ 3.31 करोड़ के ड्यूटी क्रेडिट की कम स्वीकृति हुई **(विवरण 3)**।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि ऐसे अधिक दावों के लिए आवश्यक वसूली कार्रवाई की जानी थी और आरए को वसूली कार्रवाई आरंभ करने की सूचना दे दी गई थी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि संपूर्ण रूप से, कुछ छोटे दावे भी थे और निवल अधिक राशि ₹ 0.09 करोड़ थी। आरए कोची और बैंगलुरू ने ₹ 0.12 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

अधिसूचनाओं के अद्यतन में विलंब से संबंधित डीजीएफटी द्वारा कोई विशेष उत्तर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, निवल अधिक्य पर डीजीएफटी का तर्क सही नहीं था और अधिक्य और कम दावे दोनों ही अनियमित थे और स्वचालित प्रणाली में फोरैक्स दरों के समय पर अद्यतन करने से इससे बचा जा सकता था।

2.4 "लेट कट" के गलत उद्धग्रहण के कारण अधिक एमईआईएस लाभ जारी करना

एचबीपी के पैरा 9.02 के साथ पढ़े जाने वाले पैरा 3.15 के संदर्भ में, एमईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का दावा करने वाले आवेदनों को, शिपिंग बिलों की लैट एक्सपोर्ट ऑडर (एलईओ) तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर या ईडीआई पोर्ट्स के शिपिंग बिलों को डीजीएफटी सर्वर पर अपलोड करने के तीन महीने के भीतर , जो

[11] सी.शु.(एनटी) अधि.सं.97/2015, दिनांक 1 अक्टूबर 15; 52/2016 दिनांक 4 जून 2016, 119/2016 दिनांक 1 सितंबर 2016; 136/2015 दिनांक 3 दिसंबर 2015 और 22/2017, दिनांक 16 मार्च 2017।

भी बाद में हो, दायर किया जाएगा। जब भी आवेदन देय तिथि से परे प्राप्त होता है, तो नियत तारीख से छह महीने के भीतर प्राप्त होने पर 2 प्रतिशत का "लेट कट" लगाने के बाद विचार किया जा सकता है; 5 प्रतिशत लगाकर यदि नियत तारीख के छह महीने से एक साल के भीतर अगर मिलता है, 10 प्रतिशत लगाकर यदि तय तारीख के 12 महीने से 2 साल तक मिलता है।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 तक की अवधि हेतु एमईआईएस दावों के डेटा का विश्लेषण किया जिससे पता चला कि 32,591 एसबी में (6013 फाईलों में) सिस्टम ने "लेट कट" गलत ढंग से लागू किया था जिसके परिणामस्वरूप चयनित इकाईयों **(विवरण 4)** में ₹ 5.66 करोड़ के एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट की अधिक स्वीकृति प्रदान की गई जो यह दर्शाता है कि सिस्टम "लेट कट" को उचित ढंग से गणना के लिए संरेखित नहीं था।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) की प्रणाली में ''लेट कट" की गणना से संबंधित प्रोगरैमिंग बग की पहचान की गई थी और जहां भी बकाया है वहां आरए को वसूली आरंभ किये जाने को कहा गया। आरए कोची ने ₹ 5.23 लाख की वसूली की सूचना दी।

2.5 निर्यात लाभ की आईएनआर वसूली पर एमईआईएस प्रोत्साहन की गलत अनुमति

एफटीपी 2015-20 के पैरा 2.52 के अनुसार, अग्रलिखित को छोड़कर, निर्यात आय को नीति के तहत लाभ का दावा करने के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में महसूस किया जाएगा:

- ईरान से निर्यात से आईएनआर में निर्यात लाभ वसूला गया था;
- एशियाई क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) या नेपाल या भूटान के सदस्य देश के अलावा किसी भी देश में स्थित एक अनिवासी बैंक के एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय वोस्त्रो खाते के माध्यम से रुपये में राशि प्राप्त हुई थी और वोस्त्रो खाते के माध्यम से रुपये का भुगतान खरीदार द्वारा उसके अनिवासी बैंक खाते में मुफ्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के खिलाफ होना चाहिए।

वि.व. 16 से वि.व. 19 (अक्तूबर 2018 तक) की अवधि के लिए एमईआईएस दावों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ₹ 21,802.08 करोड़ की राशि आईएनआर (₹ 24,52,036

करोड़ के एफओबी मूल्य में से) में प्राप्त हुई थी और डीजीएफटी द्वारा ₹ 643.33 करोड़ का रिवार्ड दिया गया ।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि न तो आरए के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र था कि निर्यात लाभ वोस्त्रो खाते के माध्यम से आईएनआर में प्राप्त हुए थे और न ही आरए ने निर्यातकों से कोई घोषणापत्र मांगा।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने एसीयू देशों से आईएनआर प्राप्तियों का विश्लेषण किया और यह पाया गया कि ₹ 48.90 करोड़ की राशि नेपाल और भूटान से आईएनआर में प्राप्त हुई थी और 690 एसबी **(विवरण 5)** के प्रति आठ इकाईयों[12] द्वारा ₹ 1.36 करोड़ का रिवार्ड दिया गया था। इसने नीति में परिकल्पित प्रतिबंधात्मक स्थिति के साथ एमईआईएस मॉड्यूल को संरेखित करने की विफलता का संकेत दिया। आरए कोची ने ₹ 1.92 लाख की वसूली की सूचना दी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि प्रक्रिया में प्रणालीबद्ध सुधार सार्वजनिक सूचना 08 और ट्रेड नोटिस 15 (मई 2019) के अनुसार लागू था और जिसके अंतर्गत एमईआईएस की अनुमति से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ वोस्त्रो भुगतान की आरए द्वारा जांच की जा रही थी।

2.6 एमईआईएस के लिए ई-कॉमर्स मोड्यूल को संचालन में विलंब जिसके परिणामस्वरूप ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एमईआईएस रिवार्ड की अनुपलब्धता

परिशिष्ट 3 सी में अधिसूचित ₹25000 तक फ्री ऑनबोर्ड (एफओबी) मूल्य के माल के लिए, ई-कॉमर्स का उपयोग करके कूरियर या विदेशी डाकघर (एफपीओ) के माध्यम से माल के निर्यात के लिए एमईआईएस रिवार्ड अनुमत[13] हैं। ऐसा माल एफपीओ, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई द्वारा मैन्यूअल मोड में निर्यात किया जा सकता है।

वि.व. 16 से वि.व. 18 की अवधि के लिए परिशिष्ट 3 सी में अधिसूचित माल के संबंध में ₹ 276.46 करोड़ के एफओबी मूल्य राशि का ई-कॉमर्स निर्यात एनसीटी, दिल्ली द्वारा किया गया। ये निर्यात एमईआईएस रिवार्ड के लिए योग्य थे। हालांकि,

[12] आरए अहमदाबाद, चेन्नै, सीएसईजेड कोच्चि, कोयंबटूर, दिल्ली, कोलकाता, पुणे और सीपेज मुंबई

[13] नीति 2015-20 के पैराग्राफ 3.05 के तहत,

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए दिल्ली के संबंध में वि.व. 16 से वि.व. 18 के दौरान ई-कॉमर्स पर एमईआईएस के अंतर्गत कोई दावे/लाईसेंस जारी नहीं किये गये थे।

यह अग्रलिखित कारणों से हुआ:

- इस योजना के शुरू होने के लगभग 3 वर्षों के बाद 28 मार्च 2018 को कुरियर द्वारा ई-कॉमर्स के अंतर्गत एमईआईएस लाभ अनुमत करने के लिए कुरियर आयात और निर्यात (इलैक्ट्रॉनिक डैक्लेरेशन और प्रोसैसिंग) नियामक 2010 में उचित संशोधन किये गये थे।
- डीजीएफटी द्वारा एमईआईएस ई-कॉमर्स मोड्यूल का गैर-संचालन।

डीजीएफटी ने सूचित किया कि ई-कॉमर्स मोड्यूल 5 फरवरी 2019 से संचालित कर दिया गया है और राजस्व विभाग को रोलआउट में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया ।

इस प्रकार, ई-कॉमर्स मोड्यूल योजना के आरंभ होने के बाद लगभग चार वर्षों तक भी संचालित नहीं थी। निर्यातक लगभग ₹ 5.52 करोड़ (₹ 276.46 करोड़ मूल्य के ई-कॉमर्स निर्यात का 2 प्रतिशत) के उचित लाभ से वंचित हुए और छोटे ई-कॉमर्स निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन देने का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका।

2.7 एमईआईएस लाईसेंस जारी करने से संबंधित अन्य त्रुटियां:

2.7.1 एक से अधिक लाईसेंस में शिपिंग बिलों की उपयोगिता

एकल शिपिंग बिल केवल एक लाईसेंस स्क्रिप्स तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और इसलिए सिस्टम को बहुल लाईसेंस तैयार करने के लिए एक ही शिपिंग बिल के उपयोग को रोकना चाहिए।

वि.व. 16 से वि.व. 19 (अक्तूबर 2018 तक) की अवधि के लिए एमईआईएस दावों के डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 13,040 मामलों में, समान एसबी विभिन्न लाइसेंस जारी करने के लिए उपयोग किये गये थे।

32 इकाईयों में इस मामले की जांच की गई और यह अवलोकन किया गया कि एसबी का बार-बार तब उपयोग हुआ जहां ऐसे एसबी वाले स्क्रिप्स विभिन्न कारणों से या तो निरस्त किये गये थे या सौंपे गये थे। इस निरस्त स्क्रिप्स से संबंधित एसबी दोबारा

दावे के लिए निर्यातक के लिए उपलब्ध कराने के लिए डीजीएफटी रिपोजटरी में निरस्त स्क्रिप्स को पुन:सक्रिय किया गया था।

ऐसे निरस्त/सौंपे गये स्क्रिप्स को छोड़ने के बाद भी, 482 फाईलों में 240 मामलों में एसबी के दोहरे उपयोग के मामले देखे गये थे। इनमें से 84 मामले ऐसे थे जहां विभिन्न इकाईयों जैसे दिल्ली, एफएसईजैड, पुणे और मुंबई द्वारा जारी किये गये स्क्रिप्स में एसबी का दोबारा उपयोग किया गया और विभिन्न पोर्ट पर पंजीकरण कराया गया जिनमें ₹ 6.95 लाख **(विवरण 6 और 7)** राशि के एमईआईएस रिवार्ड शामिल थे। यह स्पष्ट था कि दूसरी बार के लिए उपयोग किये गये एसबी के बारे में उपभोक्ता को सतर्क करने में सिस्टम असफल रहा।

आरए एसईजेड-फाल्टा ने ₹ 2.97 लाख वसूली की सूचना दी (दिसंबर 2018)।

2.7.2 अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों के खिलाफ एमईआईएस लाइसेंस जारी करना

एचबीपी के पैरा 3.06 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को एमईआईएस और एसईआईएस के अंतर्गत आवेदन/आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) पर वर्णित कॉर्पोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय/शाखा कार्यालय के आधार पर क्षेत्राधिकार आरए का चयन करने के लिए विकल्प होगा। यह विकल्प वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रयोग किया जाना चाहिए। एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद उस वर्ष के संबंध में दावों के लिए कोई परिवर्तन अनुमत नहीं होगा। इस संबंध में, डीजीएफटी ने कहा कि एमईआईएस आवेदन मोड्यूल में, आईईसी धारक जो आरए का आवेदन करता है, उसे एक वित्तीय वर्ष में केवल उसी आरए को आवेदन करने की अनुमति होती है।

वि.व. 16 से वि.व. 19 (अक्तूबर 2018) की अवधि के लिए संपूर्ण भारत आधार पर एमईआईएस डेटा के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि निर्यातकों ने प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकार शर्त का पालन नहीं किया और एक वित्तीय वर्ष **(विवरण 8)** में निर्यात के लिए विभिन्न आरए में आवेदन किया था। प्रावधानों के उल्लंघन में, समान वित्तीय वर्ष में निर्यात के लिए विभिन्न आरए में आवेदन करने वाले/लाइसेंस जारी हुए निर्यातकों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 4

क्र.सं.	वर्ष	निर्यातकों की सं. (आईईसी)
1.	2015-16	199
2.	2016-17	224
3.	2017-18	173
4.	2018-19 (अक्तूबर 18तक)	34

डीजीएफटी ने कहा (सितंबर 2019) कि क्षेत्राधिकार मामला महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वहां कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह लागू की गई नीति का स्पष्ट उल्लंघन था। एफटीपी के प्रावधानों में नियंत्रण एमईआईएस एप्लीकेशन मोड्यूल के अनुसार नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप नीति के विपरीत एमईआईएस लाइसेंस जारी किये गये।

एसईआईएस से संबंधित परिणाम

2.8 एसईआईएस स्क्रिप्स को अंतिम रूप देने में देरी

संपूर्ण भारत के एसईआईएस डेटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2018 की अवधि के दौरान जारी किये गये 10,003 स्क्रिप्स में से, 8,686 स्क्रिप्स (स्क्रिप्स का लगभग 87 प्रतिशत) निर्धारित 10 दिनों के समय के बाद जारी किये गये थे।

87 प्रतिशत स्क्रिप्स जारी करने में इस तरह के काफी अधिक विलंब ने एसईआईएस योजना में स्वचालन और व्यापार सुविधा के एकीकरण की कमी को दर्शाया, जिससे स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए एक स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के इरादे को हराया।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि एसईआईएस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑन लाईन प्राप्त किये गये थे और प्रसंस्करण अभी भी स्वचालित नहीं था। यह भी कहा गया था कि दस्तावेजों की मैन्यूल जांच की गई थी और योग्यता और अन्य पूर्व आवश्यक शर्तों की पूर्णत: जाँच के बाद पात्रता प्रदान की गई।

एमईआईएस (जिसे आनलाईन प्रसंस्कृत किया जा रहा है) और एसईआईएस (जिसमें प्रोसैसिंग स्वचालित नहीं है) दोनों के लिए स्क्रिप्स जारी करने के लिए डीजीएफटी

सीटीजन चार्टर में निर्दिष्ट समय सीमा समान है जिसकी डीजीएफटी द्वारा समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

एसईआईएस के मामले में, केवल आवेदन की प्राप्ति ही स्वचालित है जबकि स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया काफी हद तक मैनुअल है। एसईआईएस के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दे, जो कि 32 चयनित इकाइयों में परिमार्जन का एक नमूना खींचकर सीमित क्षेत्र के लेखापरीक्षा से निकले हैं, इस रिपोर्ट के अध्याय 3 में बताए गए हैं।

रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) से संबंधित परिणाम

2.9 आरएमएस की कार्यप्रणाली में विलंब और त्रुटियां

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 3.19 में परिकल्पित किया गया कि डीजीएफटी याद्रेच्छिक आधार पर और समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर भी, आरएमएस द्वारा संवीक्षा के लिए प्रत्येक आरए के लिए प्रत्येक महीने जारी किये स्क्रिप्स के 10 प्रतिशत का चयन करेगा। इसके अनुसार आरए विस्तृत रूप से इसकी अतिरिक्त जांच के लिए ऐसे सभी चयनित मामलों में वास्तविक दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

स्क्रिप्स के जारी करने की तिथि से कम से कम तीन वर्षों की अवधि हेतु या आरएमएस के अंतर्गत आरए द्वारा जारी किये गये संवीक्षा की पूर्णता, जो भी बाद में हो; ऐसे दस्तावेजों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व आवेदकों का होगा।

लेखापरीक्षा ने 32 चयनित इकाईयों में आरएमएस की कार्यप्रणाली की जांच की। यह अवलोकन किया गया कि अक्तूबर 2018 तक आरए दिल्ली द्वारा कोई मामला आरएमएस के अंतर्गत नहीं लिया गया था। प्रतिक्रिया में, आरए दिल्ली ने सूचित किया कि डीजीएफटी ने केवल जनवरी 2018 से सितंबर 2018 तक आरएमएस मामलों की सूची दी थी (नवंबर 2018) और इस अवधि से पहले आरएमएस के लिए ये मामले प्राप्त नहीं हुए थे।

इसी प्रकार, डीजीएफटी से आरएमएस मामले आरए- चेन्नई, कोयम्बटूर, कोच्ची, हैदराबाद, विशाखापटनम, कटक, गोवाहटी, एसईजेड - चेन्नई, कोच्ची, विशाखापटनम, फाल्टा और नोयडा में भी प्राप्त नहीं हुए थे।

इसके अतिरिक्त, आरएमएस के विवरण अहमदाबाद, बैंगलुरू, भोपाल, इंदौर, राजकोट, मुंबई, पूणे, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, लुधियाना, पानीपत, गोआ और जयपुर आरए में और एसईजेड-मुंबई, कांडला द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये/आंशिक रूप से प्रस्तुत किये गये।

आरए पुणे ने यादरेच्छिक रूप से आरएमएस के अंतर्गत पूरी की गई 49 फाईलें प्रस्तुत की थीं । यह देखा गया था कि 28 फाईलों में, सत्यापन किया जा चुका था और चालान, लैंडिंग प्रमाण पत्र,बीआरसी, पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई थी। हालांकि, शेष मामलों में आरएमएस को इस आधार पर सारांश तरीके से पूरा किया गया था कि पीएन न. 62 / 2015-2020 दिनांक 16 फरवरी 2018 में इनवॉइस के साथ मैचिंग विवरण की आवश्यकता को कम कर दिया था और इस पी.एन में निर्दिष्ट उन उत्पादों को छोड़कर किसी भी पिछले मामलों को फिर से खोलने और मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया कि अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016 तक की अवधि हेतु आरए को आरएमएस सूची दी गई थी। 4 मई 2016 (जब लैंडिंग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था) के बाद एमईआईएस के लिए आरएमएस के अंतर्गत संवीक्षा अपेक्षित नहीं थी क्योंकि एमईआईएस दावों की प्रस्तुतीकरण के लिए कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं था । इसके बाद, पूर्वोक्त पी .एन 62 के मद्देनजर, 1 जनवरी 2018 के बाद जारी किये गये स्क्रिप्स के लिए आरएमएस आरंभ किया गया था जबकि अधिकतर कोड के लिए एमईआईएस रिवॉर्ड एचएस कोड के आधार पर स्वत: चालित करने की अनुमति दी गई थी।

डीजीएफटी का तर्क अग्रलिखित कारणों से तर्क संगत नहीं था:

- यद्यपि डीजीएफटी ने कहा कि आरएमएस फाईलें दिसंबर 2016 तक की अवधि हेतु आरए को उपलब्ध कराई गई थी; कुछ आरए को छोड़कर डीजीएफटी से कई नमूनाकृत आरए को सूची प्राप्त नहीं हुई थी जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इस प्रकार,आरएमएस कार्यान्वयन में कोई समान दृष्टिकोण नहीं था ।
- एमईआईएस को मुख्य रूप से न्यूनतम मैन्यूअल बाधा/नियंत्रण के साथ किसी स्वचालित योजना बनने के लिए डिजाईन किया गया है ताकि निर्यातक जल्दी से

(तीन दिनों में) रिवार्ड प्राप्त कर सके। ऐसी स्वचालित प्रणाली में जोखिम कम करने के लिए, आरएमएस को डिजाईन किया गया था ताकि नमूना फाईलों की जांच से यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र निर्यातक ही रिवार्ड का दावा करता है। इस योजना के आरंभ होने से अब तक इसकी आवश्यकता थी। इस प्रकार, डीजीएफटी का तर्क कि मई 2016 के बाद आरएमएस की आवश्यकतता नहीं थी, ने दर्शाया कि आरएमएस के गैर-कार्यान्वयन के निहितार्थ पूर्णत: समझे नहीं गये थे।

- मुख्यत: निर्यातक द्वारा उद्घोषणा पर निर्भर होने के कारण और डीजीएफटी प्रणाली के तहत एमईआईएस में किसी डेटा वैधता के अभाव में, निर्यातकों द्वारा की गई उद्घोषणा की सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।
- डीजीएफटी अपने उत्तर में केवल एमईआईएस का संदर्भ देता है जबकि आरएमएस एसईआईएस पर भी लागू है।

अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए एमईआईएस और एसईआईएस हेतु आरएमएस का गैर-क्रियान्वयन नीति प्रावधानों का उल्लंघन था और लगभग तीन वर्षों के लिए मुख्य जोखिम नियंत्रण उपाय की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आरए आरंभिक एप्लीकेशन स्तर पर विस्तृत रूप से आवेदन की संवीक्षा कर रहे थी जिसके कारण लाइसेंस जारी करने में विलंब हुआ जैसा कि इस अध्याय के पैरा 2.1 में विस्तृत विवरण किया गया है जिसके कारण आसान व्यापार और व्यापार सुविधा की योजना का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो गया।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि आरएमएस प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है और जनवरी 2017 से सभी आरए को आरएमएस सूची (दिसंबर 2019 तक) उपलब्ध करा दी गई है।

2.10 प्रभावहीन आरएमएस के परिणाम

2.10.1 कमीशन/बीमा/मालभाड़ा (सीआईएफ) प्रभारों के जोड़ने के कारण एमईआईएस इयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की अधिक्य अनुमति

एफटीपी के पैराग्राफ 3.04 के अनुसार, एमईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड की मात्रा निर्यात के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य पर आधारित है। एफओबी मूल्य पर पहूंचने के लिए वसूले गये निर्यात लाभ से कमीशन/बीमा/मालभाड़ा (सीआईएफ) प्रभारों का भाग कम किये जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि शिपिंग बिल में उपलब्ध सीआईएफ शुल्कों के संबंध में डेटा को डीईएसएफटी सर्वर द्वारा एमईआईएस पात्रता की गणना के लिए कैप्चर नहीं किया गया था। आवेदक को यह डेटा मैन्यूल रूप से भरना था और यदि आवेदक यह डेटा नहीं भरता,इन प्रभारों को घटाये बिना वसूला गया पूर्ण एफओबी को एमईआईएस पात्रता समझा गया जिसके परिणामस्वरूप आवेदकों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 7 इकाईयों (आरए भोपाल, जयपुर, पूणे, कोलकाता, पटना, एसईजेड-इंदौर और एसईजेड -फाल्टा) में 95 मामलों में निर्यातकों द्वारा सीआईएफ प्रभारों को घोषित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.46 लाख राशि का एमईआईएस रिवार्ड अधिक जारी किया गया **(विवरण 9)**।

डीजीएफटी ने कहा (सितंबर 2019) कि शिपिंग बिलों में निर्दिष्ट कमीशन के आंकड़ें सदैव सटीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि अधिकतर यह आकंड़ा शून्य था और निर्यातक को आवेदन के समय ई-कॉमर्स मॉड्यूल में प्रत्येक शिपिंग बिल के लिए आंकड़े भरना अपेक्षित था । इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि उचित कमीशन राशि की सूचना निर्यातकों के पास ही उपलब्ध थी, जिन्हें बैंक को इसकी सूचना देनी थी और कि यह सूचना किसी अन्य दस्तावेज से सत्यापित नहीं की गई थी, इसलिए, सिस्टम निर्यातक/आवेदक द्वारा स्वयं-उद्घोषणा पर आधारित था।

एफओबीमूल्य का गलत दर्शाया जाना एमईआईएस रिवार्ड पर प्रत्यक्ष राजस्व निहितार्थ था। उत्तर से यह स्पष्ट था कि निर्यातकों द्वारा सीआईएफ शुल्क की अनिवार्य घोषणा और घोषित मूल्य की शुद्धता की जांच सुनिश्चित करने के लिए आरए द्वारा मौजूदा प्रणाली में सिस्टम अलर्ट सुविधा जैसी कोई नीति या निवारक उपाय नहीं थे। इसके अतिरिक्त, अधिक अनुदान के संबंध में वसूली भी प्रभावित होनी थी।

2.10.2 गलत-वर्गीकरण के कारण एमईआईएस रिवार्ड का गलत जारी करना

लेखापरीक्षा में माल के वर्गीकरण की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि माल के गलत वर्गीकरण के कारण उच्चतर दरों के एमईआईएस ड्यूटी स्क्रिप्स के दावे किये गये। निर्यात की अनुमति देने के समय पर शिपिंग बिलों, चालानों और पैकिंग सूची पर दिये गये मद विवरण के संदर्भ के साथ निर्यातित माल के आईटीसी/एचएस कोड़ की सटीकता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सीमा शुल्क विभाग का है। स्वचालित मोड्यूल में एमईआईएस दावों के प्रसंस्करण और अनुमोदन के समय, आरए की भूमिका, सार्वजनिक सूचना 62 / 2015-2020 दिनांक 16 फरवरी 2018 के अनुसार उत्पाद के मद विवरण के सत्यापन के बिना लाइसेंस उत्पन्न करना था। हालांकि, इस पी.एन से पहले, आरए को एमईआईएस रिवार्ड की स्वीकृति से पहले उत्पाद विवरण के साथ-साथ आईटीसी (एचएस) कोड का मिलान करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्पादों की 31 श्रेणियों में, आरए अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोची, सीएसईजेड-कोची, एमएसईजेड- चेन्नई, मुंबई, सीप्ज-मुंबई, पुणे और कोलकाता (**विवरण 10** में पावरलूम से बना हुआ हैंडलूम के रूप में दावा किया गया और अन्य गलत वर्गीकरण के लिए **विवरण 11**) में निर्यातकों द्वारा ₹ 27.24 करोड़ की राशि के दावों को सिस्टम ने उच्चतर दरों पर अनुमत किया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि उपरोक्त आईटीसी / एचएस कोड पी.एन 62/2015-2020 दिनांक 16 फरवरी 2018 में नहीं पाये गये जिसके कारण आईटीसी / एचएस कोड के साथ उत्पाद विवरण का मिलान अपेक्षित नहीं था और उक्त को उपरोक्त पी.एन में शामिल किये जाने की आवश्यकता थी।

उत्पादों के गलत वर्गीकरण और हैंडलूम उत्पादों पर लागू उच्चतर दरों की अनुमति के कारण रिवार्ड की अधिक अनुमति को रोकने में सिस्टम विफल रहा। आरए ने कार्रवाई न करने के लिए पी.एन को उद्घृत किया जो कि उचित नहीं था क्योंकि केवल इन आईटीसी कोड से संबंधित उपरोक्त पीएन के पैरा 3 में विगत मामलों का संदर्भ केवल परिशिष्ट में कवर किया गया था। सीरियल नंबर 2824 से 2826 में मेड-अप श्रेणी विवरण के तहत अलग से पावर लूम / हैंडलूम के विशिष्ट विवरण को शामिल न करने से प्रणाली में कमजोरी का संकेत मिलता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि माल के वर्गीकरण की जांच सीमा शुल्क बंदरगाह पर की जाने की आवश्यकता थी और ऑनलाईन प्रणाली एक मद के गलत-वर्गीकरण की व्याख्या नहीं कर सकी। यद्यपि, ₹ 20 लाख की वसूली आरए कोच्ची के संबंध में रिपोर्ट की गई थी, डीजीएफटी ने; जहां भी बकाया था,वहां वसूली कार्रवाई आरंभ करने के लिए आरए को सूचित करने के लिए आश्वासन दिया।

2.10.3 अयोग्य उत्पाद और श्रेणियों के लिए एमईआईएस स्क्रिप्स का गलत जारी करना

एफटीपी 2015-20 के पैरा 3.06 जो कि पी.एन 44/2015-20, दिनांक 5 दिसंबर 2017 द्वारा संशोधित किया गया है, में निर्यात श्रेणियां जो प्रोत्साहन के योग्य नहीं हैं जैसे निर्यात के लिए वर्जित / प्रतिबंधित, निर्यात शुल्क के योग्य निर्यात या न्यूणनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के लिए योग्य निर्यात, को दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया की आरएए, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई और अहमदाबाद में 250 फाइलों में आलू, प्याज, केकड़े, झींगा मछली, शार्क के पंख, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट जैसे अयोग्य उत्पादों के लिए स्क्रिप्स को मंजूरी दी गई थी, जो कि या तो एमईपी से थे याएमईआईएस प्रोत्साहन से हटा दिए गए थे या प्रतिबंधित श्रेणियों के अंतर्गत आते थे। 956 एसबी में ₹ 4.80 करोड़ की गलत राशि अनुमत की गई (**विवरण 12**)।

डीजीएफटी को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या गलत वर्गीकरण के कारण गलत रिवार्ड दरों की यह संभावना नीति निर्माण के दौरान बनी हुई थी और क्या इस मामले को निपटाने के लिए कोई उपाय किये गये/अपेक्षित थे। डीजीएफटी ने सूचित किया कि व्यापार आसान करने में सुधार और विलंब कम करने के उद्देश्य के साथ,विशेष नियम के कुछ मामले जहां विवरण का अभी भी मिलान किया जाना है, को छोड़कर शिपिंग बिलों पर केवल आईटीसी (एचएस) कोड के आधार पर एमईआईएस दावों के प्रसंस्करण के लिए निर्देश जारी किये गये थे (फरवरी 2018)। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी ने सूचित किया कि पोर्ट पर सीमा शुल्क द्वारा माल के वर्गीकरण की जांच की गई थी।

उपरोक्त ने यह दर्शाया कि मुख्यत: निर्यातकों की उद्घोषणा के आधार पर डयूटी क्रेडिट दिये गये थे और सीमा शुल्क पोर्ट पर वर्गीकरण की ईमानदारी से जांच नहीं की गई थी।

एमईपी शासन के तहत निर्यात पर रिवॉर्ड के दावों को रोकने में प्रणाली विफल रही। एमईआईएस मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहन के स्वचालित अनुदान से बचने के लिए अपर्याप्त थे और निर्यातकों ने अपने शिपिंग बिलों में आईटीसी (एचएस) को गलत तरीके से उद्धृत करके लाभ का दावा किया था। इस तरह की अयोग्य / प्रतिबंधित वस्तुओं को चिह्नित करने के लिए डिज़ाइन किए गए आरएमएस के गैर-कार्यान्वयन से भी कारण अधिक क्रेडिट के दावे हुये।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि ऐसे मामलों की सूची आवश्यक जांच हेतु आरए को सूचित की गई और सुनिश्चित किया गया कि ऐसे मदों के लिए एमईआईएस मोड्यूल में एमईपी माल के लिए वैधता नियंत्रण तैयार किये जाएंगे। आरए, कोयम्बटूर, कोच्ची ने ₹ 3.20 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

<u>निष्कर्ष</u>

स्वचालित यंत्रों के माध्यम से व्यापार सुगमता की एक आवश्यक पूर्व अपेक्षा, इनबिल्ट चेक के साथ एक प्रणाली थी जो योजना के प्रमुख नियमों, प्रक्रियाओं और शर्तों का विधिवत मानचित्रण करती। एमईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में अधिक विलंब ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सरल व्यापार के लक्ष्य प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को दर्शाया।

एमईआईएस के लिए विकसित प्रणाली एक इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली थी जिसे मैन्यूअल निहितार्थ की आवश्यकता थी। यदि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम किया गया होता तो आईटी प्रणाली द्वारा आकलित अंकगणितीय सटीकता का मैन्यूअल सत्त्यापन आवश्यक नहीं होना चाहिए। श्रमबल की क्षति होने के साथ-साथ,स्वचालित प्रणाली में भी त्रुटियां है जिसके परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया में विलंब हुआ और परिहार्य भौतिक इंटरफेस और नियंत्रण से संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों के अधिकारों का उपयोग किया जाएगा जैसा कि अध्याय 3 में चर्चा की गई है, इसलिए योजना के उद्देश्य समाप्त हो गये।

एमईआईएस मोड्यूल में स्क्रिप्स मूल्य और "लेट कट" आंकलन में कमियां थी जोकि डीजीएफटी द्वारा प्रोगरैमिंग बग के कारण बताई गई थी। प्रणाली में अद्यतन में विलंब के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय दरों की गलत स्वीकृति हुई। एमईआईएस

मोड्यूल ने आईएनआर में वसूली गई अयोग्य निर्यात प्राप्ति पर लाभ की अनुमति भी प्रतिबंधित नहीं की। इसके अतिरिक्त, प्रणाली ने योजना में निर्दिष्ट शर्ते और नियंत्रण जो एक से अधिक लाइसेंस में शिपिंग बिलों (एसबी) के उपयोग के संबंध में और क्षेत्राधिकारी प्रावधानों के सम्बन्ध में थे, उनको लागू नहीं किया ।

ई-कॉमर्स निर्यात से ₹ 5.52 करोड़ राशि का एमईआईएस लाभ का विस्तार ई-कॉमर्स मोड्यूल के नियामक और संचालनात्मकता में सुधार में विलंब के कारण लगभग चार वर्षों तक विलंबित रहा था।

एसईआईएस के मामले में, केवल आवेदन की प्राप्ति स्वचालित है जबकि स्क्रिप्स को जारी करने की प्रक्रिया काफी हद तक अब भी मैन्यूल है।

स्वचालित प्रणाली में जोखिम को कम करने के लिए,आरएमएस को डिजाईन किया गया था ताकि रिवार्ड नमूना फाईल की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सके कि केवल योग्य निर्यातक रिवार्ड का दावा करते हैं। अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017 की अवधि हेतु एमईआईएस और एसईआईएस के लिए आरएमएस का गैर-कार्यान्वयन नीति प्रावधानों का उल्लंघन था और दो साल से अधिक के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम नियंत्रण उपाय की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अस्वीकृत कारक जैसे कमीशन,बीमा और माल भाड़ा (सीआईएफ) प्रभारों को न छोड़ते हुए वसूली गई सारी निर्यात प्राप्ति पर प्रणाली ने रिवार्ड अनुमत किया। प्रणाली उत्पादों के गलत वर्गीकरण के कारण रिवार्ड की अधिक अनुमति रोकने में विफल रही और हथकरघा उत्पादों पर लागू उच्च दरों की स्वीकृति दी गई। एमईआईएस मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण ने न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) शासन के तहत निर्यात के लिए प्रोत्साहन के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं किया और निर्यातकों ने अपने एसबी में आईटीसी (एचएस) को गलत तरीके से उद्धृत करके लाभ का दावा किया। ऐसे अयोग्य / प्रतिबंधित वस्तुओं को चिह्नित करने के लिए डिज़ाइन किए गए आरएमएस के गैर-कार्यान्वयन के कारण क्रेडिट के अतिरिक्त दावों की जाचं नहीं की जा सकी।

स्वचालन सुविधाओं के निहित लाभ केवल तब प्राप्त किये जा सकते हैं जब अनुमत स्क्रिप्स के गलत/धोखा-धड़ी वाले दावों के जोखिम समाप्त करने के लिए प्रक्रियाएं उचित रूप से परिभाषित की गई होती तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समान रूप से अपनाई जाती । अपूर्ण स्वचालन और प्रसंस्करणों में कमी के साथ वे स्वचालित थे

जिसके कारण मैन्यूल हस्तक्षेप बना रहा, इस पर अध्याय 3 में लेखापरीक्षा परिणाम की चर्चा की गई।

<u>सिफारिशें</u>

1. सरकार के ई-प्रशासन पर शिफ्ट होने के प्रयत्न और स्वचालन में डीजीएफटी द्वारा प्राप्ते विशाल अनुभव के मद्देनजर, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेश व्यापार प्रोत्साहन योजनाओं के प्रशासन की पूरी प्रणाली को फुल प्रूफ सिस्टम रोल आउट करके स्वचालित रूप से योजना प्रावधानों के लिए मैप किया गया है और आईसीएस, एसईजेड ऑनलाइन इत्यादि जैसे लिंक / बेस सिस्टम में पहले से उपलब्ध जानकारी का भी लाभ उठाया गया है, ताकि यह सत्य का एकल स्रोत बन जाए।

2. डीजीएफटी को एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप्स की अनुमति की प्रक्रिया की समीक्षा और स्क्रिप्स को इलैक्ट्रॉनिक और मैन्यूसल वातावरण दोनों में अनुमत करने के लिए उपयुक्त् जांच सूची तैयार की जानी चाहिए।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि अब तक 99 प्रतिशत एचएस कोड से अधिक के लिए एमईआईएस का अनुमोदन करने के लिए प्रणाली को प्रचालित किया गया। एसईआईएस के लिए,यह कहा गया था कि नीति और प्रक्रियात्मक प्रावधान पहले से ही मौजूद थे और पहले से मौजूद प्रावधानों के लिए चेकलिस्ट जारी करना हालांकि उपयोगी था, ये भी साथ ही लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक अवाछंनीय गुंजाईंश प्रदान करेंगे, जिससे कि दावे की सटीकता के लिए चेकलिस्ट की पूर्ति को ही पर्याप्त माना जा सकता है।

पुन: यह कहा गया कि आरए के लिए एसओपी या विस्तृत चैकलिस्ट यह सुनिश्चित करेगी कि दावों की पूर्ण विलंबता को समाप्त करने के अतिरिक्त आरए द्वारा समान रूप से सभी आधारभूत नियंत्रणों का पालन किया जा रहा है।

3. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) को स्क्रिप्स जारी करने पर स्वचालित प्रणाली में कमी और खामियों को दूर करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए। निर्यातकों द्वारा आयोग, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) की घोषणा करने और डीजीएफटी के लिए निर्यातक / आवेदक की स्व-घोषणा की शुद्धता की जांच करने के लिए उचित नीति ढांचे और सिस्टम अलर्ट को लागू करने की आवश्यकता है ताकि सिस्टम

द्वारा चुने गए चुनिंदा मामलों में निर्यातक / आवेदक की स्व-घोषणा की जांच हो सके।

सिफारिश से सहमत होते हुए डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि आरएमएस को सुदृढ़ करना चाहिए था और एमईआईएस आवेदन हेतु प्रत्येक ऐसे शिपिंग बिलों की पहचान की जाएगी जिनमे शून्य मूल्य वाले कमीशन, बीमा और माल-भाड़ा दर्ज हैं तथा इन्हें आरएमएस सूची में उच्चतर वेटेज दी जाएगी।